		हुक्म की तामील में जारी हुए
17.6.19	पत्रावली पेश हुई बहुत्वाय उपस्थित श्रीमान P0 साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17-9-19 को पेश हो।	
17.9.19	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P0 साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते बहस अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21.10.19 को पेश हो।	
21.10.19	पत्रावली पेश हुई बहुत्वाय उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 11.11.19 को पेश हो।	
11-11-19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान P0 साहब न्यायालय अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 24.12.19 को पेश हो।	
24.12.19	पत्रावली पेश हुई बहुत्वाय वादी वकील उपस्थित दिनांक 7.1.20 पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक को पेश हो।	
7.1.20	पत्रावली पेश हुई अभियुक्त उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 13.1.20 को आवश्यक रूप से पेश हो	
13.1.20	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस प्रतिवादी आगामी दिनांक 20.1.20 को पेश हो	
20.1.20	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस प्रतिवादी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस पुनः आगामी दिनांक 28.1.20 को पेश हो।	
28.01.20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। [illegible] उपस्थित है। अधिवक्ता अप्रार्थी बार-बार आवाज लगाने पर भी अनुपस्थित है। [illegible] अप्रार्थी भी अनुपस्थित है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि धारा 88, 188, 209 के तहत वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा कथन किया कि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2022.11.14 10:44:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र में कलम सं. 1 मे वर्णित मौजा भूतपाड़ा मे आ. नं. 291/76 व 302/56 हमारे पिता लालमा को आवंटित हुई। अप्रार्थी फूलजी व भीरा, माना के पुत्र है, लेकिन उन्हे हमारे पिता लालमा की भूमि में नामान्तरण सं. 404 के जरिये गलत वारिसान बताकर नामान्तरण तस्दीक कर दिया। जबकि वो हमारे भाई नहीं है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी हमारे उक्त आराजी मे प्रवेश न करे, न ही रुकावट पैदा करे और न ही प्रतिनिधि से करावे। अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया, जिसमे अप्रार्थी ने कथन किया है, कि यह सत्य है कि माना, हमारी माता वीरा का पति था, लेकिन माना की मृत्यु के पश्चात हमारी माता वीरा, लालमा के साथ रही, लालमा ने वीरा से विवाह किया, धर्मपत्नि बनाई, तत्पश्चात लालमा से फूलजी व भीरा पुत्र का जन्म हुआ, अतः लालमा हमारा पिता है, केवल प्रार्थी व हमारी माता अलग - अलग है। मैंने दस्तावेजों व प्रा. पत्र, उसके जवाब व बहस में दिये गये तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई प्रभावी तथ्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो की भूमि खुर्द बुर्द अथवा विवाद करने जैसी स्थिति हो, अथवा [illegible] विपरित स्थिति हो। [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया [illegible] हुये न्यायालय मुताबिक गया। पत्रावली [illegible] शुमार लेकर नम्बर से कम की जावे। Sd/-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2022.11.14 10:44:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner